—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :— 178/2022

उनवान

1. जडाव पत्नी बन्ना
2. सत्यनारायण मुतबन्ना बन्ना
3 सुखपाल पुत्र हंगामा
4. अलाली पत्नी प्रभु
5. रामनारायण पुत्र प्रभु
6. रामस्वरूप पुत्र किस्तुर पौत्र कल्याण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1 जगदीश पुत्र कल्याण
2. सुखदेई पुत्री कल्याण
3. बरजी पुत्र कल्याण
4. सोहनी पुत्री कल्याण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद
5. उप पंजीयक, नसीराबाद, अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

———— प्रतिवादीगण :— 1 से 4 स्वयं
5 से 6 जरियें राज. पैरोकार

7. सुखपाली पुत्री हंगामा
8. सुरता पुत्री प्रभु
9. समौत्रा पुत्री प्रभु समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 7 स्वयं, 8 व 9 अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 10/9/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोडी के खाता संख्या 118/97 किता 12 रकबा 0.59 की आराजी वादीगण की पुश्तेनी खातेदारी की है। वादीगण कल्याण पुत्र ज्वारा के विधिक वारिसान है। प्रतिवादी भी कल्याण पुत्र ज्वारा के वारिस है। उक्त आराजी कल्याण पुत्र ज्वारा के नाम खातेदारी दर्ज थी। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता व दादा का नाम समान होने के कारण उक्त आराजी जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 38 दिनांक [illegible] के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 7 ने उपस्थित होकर वाद को डिक्री करने की सहमती दी तथा राजीनाम पेश किया। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल जमाबंदी में खाता संख्या 118/97 किता 12 रकबा 0.59 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 38/43 किता 9 रकबा 3–11–10 कल्याण पुत्र ज्वारा के नाम खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 38 दिनांक 16.11.10 द्वारा उक्त आराजी जरियें विरासत कल्याण पुत्र ज्वारा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज की गयी। जबकि उक्त आराजी वादीगण के पिता/पति की आराजी है। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/पति का नाम समान होने के कारण आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने प्रकरण राजीनामा पेश किया है। राज. पैरोकार ने वा का खण्डन नही किया है। नामान्तकरण संख्या 38 से किया गया इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है तथा उक्त त्रुटि सद्भाविक है। वादीगण के कथनों की ताईद होती है। वादीगण आराजी मुतनाजा के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

उक्तानुसार ग्राम मोडी के खाता संख्या 118/97 किता 12 रकबा 0.59 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम तर्क कर भूमि पुनः कल्याण पुत्र ज्वारा के नाम अंकित करे तथा कल्याण पुत्र ज्वारा की विरासत की कार्यवाही नियमानुसार दर्ज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जडाव बनाम जगदीश

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 178/2022
पेश करने की दिनांक – 16.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई सुखदेव चौधरी अभिभाषक प्रतिवाद संख्या 1 से 4 स्वयं राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोडी के खाता संख्या 118/97 किता 12 रकबा 0.59 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम तर्क कर भूमि पुनः कल्याण पुत्र ज्वारा के नाम अंकित करे तथा कल्याण पुत्र ज्वारा की विरासत की कार्यवाही नियमानुसार दर्ज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 9 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद